



हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला-176213
Himachal Pradesh Board of School Education, Dharamshala-176213

क्रमांक: हि.शि.बो (3)सा०/117वीं बैठक मद 05/2021-481-530 दिनांक: 18-10-2021

“अधिसूचना”

अधिसूचित किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बोर्ड की 117वीं बैठक दिनांक 14-09-2021 की मद संख्या 05 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी “The Gazette of India” की अधिसूचना दिनांक 25-09-2020 के अनुसार उभयलिंगी व्यक्ति (Transgender person) के नाम व लिंग (Gender) के परिवर्तन के फलस्वरूप बोर्ड द्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में नाम तथा लिंग बदलाने हेतु बोर्ड के परीक्षा विनियमों के अध्याय-14 के नियम 14.3.6 में प्रस्तावित नियम में विचार-विमर्श करने उपरान्त निम्नलिखित संशोधन को अनुमोदित कर लागू करने का निर्णय लिया है :-

EXISTING RULES	APPROVED RULES
14.3.6 Chairman may permit Change in name due to change in sex with prescribed fee and on production of Medical report/certificate from a reputed Medical Institution duly countersigned by the Director of Health Services concerned.	14.3.6 Chairman may permit Change in name due to change in sex with prescribed fee and on production of Certificate of Identity (Form-3/Form-4) and Transgender identity card issued by District Magistrate of concerned district for Transgender Person.

(अध्यक्ष सूच) सचिव

पृष्ठांकन सं० यथोपरि:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित है:-

1. सचिव(शिक्षा) हि०प्र० सरकार, शिमला-2
2. निदेशक उच्चतर शिक्षा, हि०प्र० सरकार-1
3. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, हि०प्र० सरकार-1
4. निजी सहायक (माननीय अध्यक्ष/सचिव) हि०प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड।
5. अतिरिक्त सचिव/संयुक्त सचिव/समस्त उप सचिव/सहायक सचिव हि०प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड।
6. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हि०प्र० शिमला-3 को, उपरोक्त निर्णय को हि०प्र० सरकार के राजपत्र तथा E-Gazette में प्रकाशित करने हेतु।
7. उप-नियन्त्रक (वित्त एवं लेखा) तथा (लेखा परीक्षा) हि०प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड।
8. समस्त अनुभाग अधिकारी हि०प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. रक्षक संविका।

(अध्यक्ष सूच) सचिव

पृष्ठां.सं. संख्या:- ई०डी०एन०.-एच०ई०(21)एफ०(18)30/2020-वी दिनांक शिमला, 2021
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. सचिव हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. उप-शिक्षा निदेशक समस्त जिला हि०प्र० को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. तकनीकी अधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी कक्ष, निदेशालय (उच्चतर शिक्षा) को विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
4. रक्षक नस्ति।

शिक्षा निदेशालय उच्चतर हि०प्र०

निदेशक, (उच्चतर शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश, शिमला-1

18 NOV 2021